पत्र संख्याः 1/अनु0–1004/2024–सा0 प्र0–1603/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांकः 27.01.25

विषय :– **छुट्टी/मुख्यालय छोड़ने का अनुरोध आवेदित तिथि से कम–से–कम 7 दिन पूर्व समर्पित किए जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रायः छुट्टी/मुख्यालय छोड़ने का आवेदन छुट्टी/मुख्यालय छोड़ने के लिए आवेदित तिथि के 02–03 दिन पहले प्राप्त होते हैं। परिणामतः, सक्षम स्तर से छुट्टी की स्वीकृति और उससे संबंधित निर्णय का संसूचन विलंबित होता है।

2. **छुट्टी/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति और उससे संबंधित निर्णय के ससमय संसूचन के लिए आवश्यक है कि अत्यन्त विशेष परिस्थिति को छोड़कर विभाग को छुट्टी/मुख्यालय छोड़ने के लिए आवेदित तिथि से कम–से–कम 7 दिन पूर्व आवेदन उपलब्ध कराए जाएं।**

3. अनुरोध है कि इस निदेश का अनुपालन दृढ़ता से किया जाए।

विश्वासभाजन,
27/1/2025
सरकार के अवर सचिव।

4|CM|D:\Rohit\letter